

राष्ट्रीय बाल भवन

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय
का स्वायत्त संस्थान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
भारत सरकार)
कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002



NATIONAL BAL BHAVAN

(An Autonomous Organisation under
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
Govt. of India)
Kotla Road, New Delhi - 110002

Tel. No. 23232672, 23231597 Fax No. 23231158 Email: nbb.admin@gmail.com

F.No.6(20)NBB/Accounts/CGHS/2014/819

Dated: 01-07-2017

OFFICE ORDER

Subject: Extension of CGHS facilities to the retired employees of National Bal Bhavan - reg.

In pursuance of Ministry of Health & Family Welfare, CGHS (P) Section, Gol, New Delhi OM no.S-11011/04/2017-CGHS(P) dated 17.04.2017, the CGHS facilities has been extended to the retired employees of National Bal Bhavan with immediate effect subject to the following guidelines:

- a) CGHS facilities shall be extended to the retired employees of National Bal Bhavan only in Delhi/NCR. They will be entitled to OPD facilities and medicines from CGHS dispensaries in Delhi / NCR only on the same lines as is being done in case of serving employees of National Bal Bhavan.
- b) They may avail treatment from CGHS empanelled hospitals at CGHS approved rates. The medical expenses for IPD/hospitalization treatment will be borne by National Bal Bhavan and they will not be eligible for cashless medical facilities.
- c) The pensioner's card will be issued to those pensioners who have been recommended by National Bal Bhavan and on payment of service charges on cost to cost basis in advance on yearly basis at the rates determined by Department of Health and Family Welfare in consultation with O/o the Chief Advisor (Cost), Department of Expenditure, Ministry of Finance.

Contd...

- d) The CGHS membership card will have to be renewed annually through National Bal Bhavan in advance. Failure to renew the CGHS membership within the specified time period will lead to deactivation of the CGHS card.
- e) There is no provision for issue of life-time CGHS cards to the pensioner beneficiaries of National Bal Bhavan.

All the retired employees who are covered under CGHS in Delhi/NCR & interested to opt for CGHS facilities directed to go through the aforesaid guidelines of Ministry of Health & Family Welfare & submit application form complete in all respect in this office for procuring their CGHS Card.

This issues with the approval of Competent Authority.

(Mukesh Gupta)
Dy. Director (Admn.)

- (i) Dy. Director (PC&R), JBB Mandi
- (ii) DDO, NBB
- (iii) Shri B.S.Bhandari, Section Officer, Deptt of SE&L, MHRD, Shastri Bhvan, New Delhi-110015
- (iv) Assistant Director (Science) & I/C (Prog)
- (v) Consultant (F&A)
- (vi) Notice Board & Website of NBB
- (vii) Guard File.

etc

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

मि. सं० 6(20)/रा.ब.भ./लेखा/सीजीएचएस/2014/819

दिनांक : 07.07.2017

कार्यालय आदेश

विषय : राष्ट्रीय बाल भवन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाओं का विस्तार


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीजीएचएस (पी) अनुभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. एस--11011/04/2017-सीजीएचएस (पी) दिनांक 17.04.2017 के अनुपालन में राष्ट्रीय बाल भवन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निम्नलिखित मार्गदर्शी-निर्देशों के अध्याधीन तत्काल प्रभाव से सीजीएचएस सुविधाओं का विस्तार प्रदान कर दिया गया है :-

- (क) राष्ट्रीय बाल भवन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस की सुविधाओं का केवल दिल्ली/एनसीआर में ही विस्तार प्राप्त होगा। वे राष्ट्रीय बाल भवन के सेवारत कर्मचारियों के मामले में प्राप्त सुविधा की तर्ज पर सीजीएचएस की दिल्ली/एनसीआर की डिस्पेंसरियों से ओपीडी सुविधाओं व औषधियां पाने के पात्र होंगे।
- (ख) वे सीजीएचएस के पैनेल पर सूचीबद्ध अस्पतालों से सीजीएचएस दरों पर उपचार का लाभ ले सकेंगे। आईपीडी/अस्पतालीकरण उपचार के चिकित्सा व्ययों को राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा वहन किया जाएगा और वे नकदीरहित चिकित्सा सुविधाओं के पात्र नहीं होंगे।
- (ग) पेंशनभोगी का कार्ड उन पेंशनधारकों को जारी किया जाएगा जिनकी अनुशंसा राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा की गई है और यह मुख्य सलाहकार (लागत), क्रय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय के साथ परामर्श करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यथानिर्धारित दरों पर वार्षिक आधार पर लागत-दर-लागत आधार के सेवा-प्रभारों का अग्रिम रूप से भुगतान करेंगे।
- (घ) सीजीएचएस सदस्यता कार्ड का राष्ट्रीय बाल भवन के माध्यम से अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष नवीनीकरण करना होगा। विनिर्धारित अवधि के भीतर सीजीएचएस सदस्यता कार्ड का नवीनीकरण न करा पाने की स्थिति में सीजीएचएस कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
- (ङ) राष्ट्रीय बाल भवन के पेंशन लाभार्थियों के लिए आजीवन सीजीएचएस कार्ड जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

कृ०पृ०उ०

दिल्ली/एनसीआर के अन्तर्गत आने वाले तथा सीजीएचएस सुविधाओं का विकल्प देने के इच्छुक सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उपरोक्त मार्गदर्शी निर्देशों को पढ़ें और सीजीएचएस कार्ड प्राप्त करने के लिए सभी दृष्टि से परिपूर्ण आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(मुकेश गुप्ता)

उप निदेशक (प्रशासन)

1. उप निदेशक (पीसी एण्ड आर), ज.बा.भ., मांडी
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, रा.ब.भ.
3. श्री बी.एस. भण्डारी, अनुभाग अधिकारी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110002
4. परामर्शदाता (वित्त एवं लेखा)
5. रा.बा.भ. का सूचना पटल एवं वेबसाइट
6. गार्ड फाईल